मांग संख्या 67

मुख्य शीर्ष 2059

मद कमांक 1 से 2

राज्य शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग में कार्यरत 5535 दैनिक वेतन भोगी गैंगमेन श्रमिकों (124 कुशल, 323 अर्द्धकुशल एवं 5088 अकुशल) के नियमितीकरण हेतु अपरीक्षित मद के रूप में सांख्येत्तर पदों के सृजन पर रूपये 2300.00 लाख का व्यय संभावित है । पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1.	कुशल श्रमिक	124	2750-70-3800-75-4400
2.	अर्ध कुशल श्रमिक	323	2610-60-3150-65-3540
3.	अकुशल श्रमिक	5088	2550-55-2660-60-3200
	कुल-	**5535 पद**	

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 23,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3

लोक निर्माण विभाग हेतु पुराने अनुपयोगी वाहनों के अपलेखन पश्चात् 02 नग वाहन प्रतिस्थापन मद में कय पर रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4059

मद कमांक 4

दुर्ग जिले में वाणिज्यिकर भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि 59.71 लाख का व्यय संभावित है ।

इस प्रयोजन हेतु रूपये 59,71,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 5

जिला राजनांदगांव में न्याय सदन भवन के निर्माण हेतु रूपये 30.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 6

केन्द्रीय जेल जगदलपुर तथा जिला जेल कांकेर में मुख्य दीवाल पर कन्सर्टीना वायर फेसिंग लगाने हेतु रूपये 60.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 7

राज्य शासन द्वारा विधान सभा परिसर में सामुदायिक भवन निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है, जिस पर इस वर्ष रूपये 305.00 लाख का व्यय होना संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा । इस हेतु रूपये 100 का प्रतीक आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अत: अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 8

राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी भू-जल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, (वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधान सभा) भवन की लागत रूपये 724.00 लाख के भुगतान का निर्णय लिया गया है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु अनुपूरक अनुदान के रूप में रूपये 7,24,00,000 की आवश्यकता है ।

मद कमांक 9

प्रतापपुर, मुंगेली, रतनपुर, भोरमदेव, रैरुमाखुर्द एवं चन्द्रा में पुलिस थाना भवन निर्माण करने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु रूपये 120.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 10

जिला बिलासपुर में लोक अभियोजन कार्यालय भवन निर्माण करने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु रूपये 13.08 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 13,08,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद कमांक 11

राज्य शासन द्वारा श.उ.मा.वि. बसंतपुर, जिला राजनांदगांव में स्कूल भवन ऑडीटोरियम (अनुमानित लागत रूपये 45.00 लाख) निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अनुपूरक अनुदान के रूप में रूपये 45,00,000 की आवश्यकता है ।

मद कमांक 12

भखारा जिला धमतरी, खेरथा जिला दुर्ग, दीपिका जिला कोरबा में शासकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण तथा दिग्विजय महाविद्यालय जिला राजनांदगांव में आडिटोरियम भवन के निर्माण हेतु राशि रूपये 70.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता हैं ।

मद कमांक 13

डोंगरगढ़ में स्टेडियम निर्माण हेतु रुपये 25.00 लाख तथा दुर्ग में एथलेटिक ट्र ेक निर्माण हेतु राशि रूपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद कमांक 14

जिला-बिलासपुर के ग्राम-लखराम तथा जिला- धमतरी के अरसीकन्हार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन एवं दो-दो आवास गृहों के निर्माण पर राशि रूपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।